



डा० शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

पत्रांक: 112/फा०सं०-12(पंचम)/पदसृजन/स्था०/डॉ.श.मि.रा.पु.वि./2022-23 दिनांक : 19 जुलाई, 2022

// कार्यालय आदेश //

विश्वविद्यालय हेतु दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-2 के शासनादेश सं०-2893/65-2-2008-57 (विविध)/2008, दिनांक 30.12.2008 द्वारा कला एवं संगीत के अन्तर्गत समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग की स्थापना की गई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 द्वारा मानकानुसार पदों का प्रत्यावर्तन करते हुए शासनादेश संख्या-62/डी०एस०-69/65-3-2014-07(वि०वि०)/2009, दिनांक 22 जुलाई, 2014 द्वारा समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान विभाग तथा समाज कार्य विभाग में पदों का सृजित किया गया। तदोपरान्त दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग के शासनादेश संख्या-24/2016/डी०एस०-141/65-3-2016-7(वि०वि०)/2009टी०सी०, दिनांक 19.12.2016 द्वारा विश्वविद्यालय के सृजित विभागों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के मानकानुसार पदों के सृजन हेतु समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग के शैक्षिक संवर्ग के अतिरिक्त पदों का सृजन किया गया। इस प्रकार समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग में प्रोफेसर के 02 पद, एसोसिएट प्रोफेसर के 04 पद एवं असिस्टेंट प्रोफेसर के 08 पदों का सृजन किया गया है। विश्वविद्यालय की मा० कार्य परिषद की पन्द्रहवीं बैठक दिनांक 11.08.2015 तथा मा० विद्या परिषद की तृतीय बैठक दिनांक 03.10.2015 में उक्त समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग विभाग को दो भागों में विभक्त कर सृजित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

उच्च शिक्षा विभाग के शासनादेश संख्या-1267/सत्तर-3-2021-16 (26)/2011, दिनांक 15.06.2021 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालय/महाविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण किये जाने हेतु राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम को प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में आगामी सत्र से लागू किये जाने के लिए शासनादेश निर्गत किया गया है।

उक्त उच्च शिक्षा विभाग के उक्त शासनादेश 15.06.2021 के अनुरूप "च्वाइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम" (CBCS) पर तैयार न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अन्तर्गत मा० विद्या परिषद 20वीं बैठक दिनांक 24.08.2021 में विश्वविद्यालय के संकायों के पुनर्गठन किये जाने हेतु गठित समिति की संस्तुतियों को विश्वविद्यालय की मा० कार्य परिषद की 38वीं बैठक दिनांक 19.04.2022 में प्रस्ताव के रूप में संकायों/विभागों की संरचना को प्रस्तुत प्रस्ताव पर मा० कार्य परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान करते हुए नयी शिक्षा नीति के क्रियान्वयन के दृष्टिगत प्रस्ताव को शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश प्रदान किया गया।

उक्त प्रेषित प्रस्ताव के अनुक्रम में दिव्यांगजन सशक्तीकरण अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-18133/65-3-2022, दिनांक 01 जुलाई, 2022 द्वारा उच्च शिक्षा विभाग के उक्त शासनादेश दिनांक 15.06.2021 में वर्णित प्राविधानों के आलोक में न्यूनतम समान पाठ्यक्रम के अनुसार संकायों के पुनर्गठन की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रदत्त अनुमति के क्रम में समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभाग को 02 विभागों में विभक्त करते निम्नानुसार विभागों का पुनर्गठन किया जाता है :-

क्र० सं०	विभाग का नाम	सृजित पद का विवरण		
		प्रोफेसर	एसोसिएट प्रोफेसर	असिस्टेंट प्रोफेसर
01	समाजशास्त्र/सामाजिक विज्ञान विभाग	01	02	04
02	समाज कार्य विभाग	01	02	04

यह व्यवस्था तत्काल प्रभाव से प्रभावी होगी।

(प्रो० आर० के० पी० सिंह)
कुलपति

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ० प्र० शासन।
2. समस्त संकायाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
3. परीक्षा नियंत्रक, विश्वविद्यालय।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, विश्वविद्यालय।
5. सम्बन्धित विभाग के समस्त शिक्षकवृन्द।
6. विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

(अमित कुमार सिंह)
कलसचिव